

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र सं० 16/2016

1. श्री मांगीलाल पुत्र श्री रूपा जाति भील नि० भामातफली पियोला पुलिस थाना
कुआं जिला डूंगरपुर राज०

.....प्रार्थी

बनाम

राज सरकार जरिये पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर। अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते सुपुर्दगी अन्तर्गत धारा 7 राजस्थान गौवंशीय
पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियम)
अधिनियम, 1995

(प्रथम सूचना संख्या 92/2016 सरकार बनाम बल्लू वगैरह)

उपस्थित :- 1. कुलदीप रसिया, दीपेन्द्र सिंह गुर्जर अभिभाषक प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार


आदेश

दिनांक- 28.12.2016

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते सुपुर्दगीनामा अन्तर्गत धारा 7 गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के गौवंश 9 बैल पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर द्वारा प्रथम सूचना संख्या 92/16 अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम 1995 व 11 डी ई पशु कूरता अधिनियम 1960 के अन्तर्गत जब्त किया गया है। जब्त गौवंश बैलो को प्रार्थी द्वारा बघेरा मेले से कृषि कार्य हेतु कय किये थें। पुलिस द्वारा उक्त बैलों के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है। पुलिस को अब इन बैलो की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिक समय बैलों के गौशाला में रहने से उनके बीमार पडने की संभावना है। प्रार्थी उक्त बैलो को सुपुर्दगीनामें पर छोडने के सम्बन्ध में मान० न्यायालय की प्रत्येक शर्त व आदेशों की पालना करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थी के 9 बैलों को सुपुर्दगी नामें पर छोडे जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी नसीराबाद सदर से पैरावाइज टिप्पणी मय केस डायरी तलब की गई। टिप्पणी मय केस डायरी प्राप्त होने पर प्रकरण वास्ते सुनवाई नियत किया गया। उपस्थित को सुना गया।

उपस्थित अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि प्रार्थी के गौवंश 9 बैल पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर द्वारा प्रथम सूचना संख्या 92/16 अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम 1995 व 11 डी ई पशु कूरता अधिनियम 1960 के अन्तर्गत जब्त किया



जिला कलक्टर
अजमेर

गया है। जब गौवश बैलो को प्रार्थी द्वारा वधेरा मेले से कृषि कार्य हेतु कय किये थे। पुलिस द्वारा उक्त बैलो के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है। पुलिस को अब इन बैलो की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिक समय बैलों के गोशाला में रहने से उनके बीमार पड़ने की संभावना है। प्रार्थी उक्त बैलो को सुपुर्दगीनामों पर छोड़ने के सम्बन्ध में मानो न्यायालय की प्रत्येक शर्त व आदेशों की पालना करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थी के 9 बैलों को सुपुर्दगी नामों पर छोड़े जाने के आदेश प्रदान करावे।

धैरोकार सरकार का कथन है कि परिवारदी श्री रवि कुमार वैष्णव पुत्र

श्री हरिशंकर जाति वैष्णव निवासी अजमेर रोड केकड़ी नगर सयोजक बजरंग दल तथा जिला उपाध्यक्ष गौरक्षा दल, अजमेर द्वारा लिखित रिपोर्ट पेश कर दिनांक 30.03.2016 को प्रकरण संख्या 92/16 अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान गौवशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व 11 डी ई पशु कूरता अधिनियम 1960 के तहत पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर में दर्ज कराया गया। दौरान अनुसंधान आरोपीगण बल्लु पुत्र पेमा जाति बनजारा निवासी रंगा स्वामी बस्ती कुडाल थाना डबाक जिला उदयपुर, मांगीताल पुत्र रूपलाल जाति भील उम्र 25 वर्ष निवासी भमातफली पिथोला, थाना कुआ जिला झुंरपुर, नसिंह उर्फ नरेश पुत्र कालु राम जाति भील उम्र 24 निवासी चारवाडा थाना धम्बोला जिला झुंरपुर, व भूपेन्द्र कुमार पुत्र अकलसिंह जाति भील उम्र 30 साल निवासी बडगाव तहसील चिकली थाना कुआ जिला झुंरपुर द्वारा वाहन ट्रक संख्या RJ27-GB-0797 में अवैध गौवश 19 बैलो को बिना परमीट के कूरता पूर्वक परिवहन करने पर वाहन एवं बैलों को जरिये फर्द कब्जा पुलिस लिया गया तथा आरोपियों को जरिये फर्द गिरफ्तार कर गहावान के बयान लिये गये। बैलो के मेडिकल करवानों पर कुछ बैलो के चौट आना पाया गया। उक्त बैलो को उचित चारा पानी की व्यवस्था के तहत अस्थाई रूप से विजय गौशाला सरहद खारी का नाम्ना, गुलाबपुरा, जिला भीलवाडा को सुपुर्दगी में दिये गये हैं। मुलजिमान के विरुद्ध प्रकरण संख्या 92/16 अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान गौवशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व 11 डी ई पशु कूरता अधिनियम 1960 के तहत पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर में दर्ज है। पुलिस अनुसंधान में अपराध प्रमाणित पाया गया है। न्यायालय ट्राईल जारी है। राजस्थान गौवशीय (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 2 के (ख) में सक्षम अधिकारी से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है। धारा 7 अभिग्रहित गौवशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा के तहत अभिग्रहित गौवशीय पशुओं की अन्तःरिम अभिरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है जिसमें निम्नांकित में से किसी को सुपुर्द किया जा सकता है :-

- 1- गौवशीय पशुओं के कल्याण के लिये कार्यरत मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन या एजेन्सी
- 2- राजस्थान गोशाला अधिनियम 1960 के उप बन्धों के अधीन शासित गोशाला
- 3- ऐसा कोई गो-सदन अथवा
- 4- इन तीनों के अभाव में किसी भी अन्य एजेन्सी गोशाला, गो-सदन या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को।



जिला कलक्टर

अजमेर


चूंकि अधिनियम की धारा 7 के तहत जिन संस्था को गौवंश सौंपा जाने के प्रावधान किये गये है उनमें प्रार्थी जो कि न तो उक्त गौवंश के मालिक स्पष्ट है और ना ही वो गौशाला गो-सदन आदि के संचालक है। उक्त 9 बैलों सहित कुल 19 बैलों को बिना टी.पी. व परमिट के ट्रक नं० RJ27-GB-0797 में कूरता पूर्वक बिना चारा पानी की व्यवस्था के ठसाठस भर कर ले जाने दौरान पुलिस थाना नसीराबाद सदर द्वारा जब्त किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त प्रावधानों के तहत उपयुक्त व्यक्ति भी प्रतीत नहीं होता है। इसको गौवंश सौंपने पर इनके खुर्द बुर्द होने अथवा वध किये जाने की सम्भावना है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का मय केस डायरी अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस थाना नसीराबाद सदर द्वारा मुल्जिमान को बिना लाइसेन्स., परमीट एवं बिना किसी भी दस्तावेज के ट्रक सं० RJ27-GB-0797 से गौवंश 19 बैलों को बिना चारे पानी की व्यवस्था के, कूरता पूर्वक ठसाठस भरकर परिवहन कर ले जाते हुये पकडा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र कथनों को कोई ठोस आधार से साबित नहीं किया गया है, कृषि भूमि होने बावत भी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान दौरान भी प्रार्थी, गौवंश बैलों का मालिकाना हक सिद्ध नहीं कर पाये है। उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार प्रार्थी के कथन स्पष्ट नहीं है। जिस स्थिति में उक्त गौवंश बैलो को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है उससे इन्हे कटने के लिये अन्यत्र ले जाना स्पष्ट है। जब्तशुदा बैलों की देखरेख/चारे पानी की सुचारु व्यवस्था हेतु गौशाला, में अस्थाई सुपुर्दगी पर छोडा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमान के विरुद्ध धारा 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व 11 डी ई पशु कूरता अधिनियम 1960 के तहत अपराध प्रमाणित पाया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 7 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत जिन्हें अभिगृहित गौवंशीय पशुओं की अन्तरिम अभिरक्षा हेतु सुपुर्द किया जा सकता है उसमें गौवंशीय पशुओं के कल्याण के लिये कार्यरत मान्यता प्राप्त स्वेच्छिक संगठन या एजेन्सी, राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के उपबन्धों के अधीन शासित गौशाला ऐसा कोई गौसदन, अथवा इन तीनों के अभाव में किसी भी अन्य एजेन्सी गौशाला, गौसदन या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंपने के प्रावधान है। चूंकि प्रार्थी उपरोक्त में से कोई भी नहीं है इसलिये प्रार्थी को उपरोक्त गौवंशीय पशु बैल अन्तरिम अभिरक्षा के लिये सुपुर्दगी प्राप्ति का उपयुक्त पात्र व्यक्ति नहीं पाये जाने से अभिगृहित गौवंश बैल इन्हें सुपुर्द किया जाना न्यायहित में उचित नहीं है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त तथ्यों के

मिथ्यनजर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.12.2016 को सरे

इजलास सुनाया गया।



(गौरव गोयल)
जिला कलेक्टर
अजमेर